

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) ल०सि०-दु०-07/2009/राँची, दिनांक :

आदेश

श्री जयकान्त झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प झापांक-2883 दिनांक-28.05.2013 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43बी० के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :-

(क) भदवा खूर्द तालाब प्रखण्ड-गांडेय के मिट्टी कार्य मद में 2,45,893.44 का अत्याधिक एवं अनियमित भुगतान।

(ख) (i) आंदरकोला तालाब प्रखण्ड गांडेय के सॉफ्ट रॉक मद में 26.53% का अनियमित विचलन।

(ii) इस योजना के मिट्टी कार्य मद में रु० 2,73,696.02 का अत्याधिक एवं अनियमित भुगतान।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में किसी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में निहित निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री जयकान्त झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

झापांक :3455.....राँची/दिनांक02/01/19.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०)जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह/श्री जयकान्त झा, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्राम-तिलाथी, भाया-कुनौली बाजार, सुपौल, जिला-सप्तरी (नेपाल)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव